



उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

तृतीय एवं चतुर्थ तल, गन्ना किसान संस्थान, न्यू बेरी रोड, लखनऊ

पत्रांक : 1574 / टी-178 / यूपीआरआरडीए- / 11 दिनांक : 25 अगस्त 2011

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता, (पी०आई०यू०-१)
लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

महोदय,

भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि जिन जनपदों में नव सम्पर्कता के प्रस्ताव स्वीकृतार्थ उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, वहाँ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर गठित कोर नेटवर्क के अनुरूप जनपद की 500-999 की कोई बसावट संतृप्तीकरण हेतु अवशेष नहीं है।

आपसे अनुरोध है कि निम्न प्रारूप पर इस आशय का प्रमाण पत्र लौटती डाक से अभिकरण को तत्काल प्रेषित करें।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित कोर नेटवर्क के अनुरूप 500-999 की आबादी की कोई भी बसावट जनपद में संतृप्तीकरण हेतु अवशेष नहीं है।

ह० /

अधिशायी अभियन्ता,
पी०आई०यू०-१

भवदीय
(संजीव कुमार)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।